अहमदनगर जिला मराठा विद्या प्रसारक समाज का,

श्री मुलिकादेवी महाविद्यालय,निघोज

विषय - हिन्दी

पेपर नं १

साहित्य विविधा

प्रा . मनिषा गाडीलकर

यूनिकोड की जानकारी

. अब कंप्यूटर पर कुछ मिनिटों में कोई भी न्युज लेटर ,रिपोर्ट,चार्ट ,निमंत्रन पत्र,परिचय पत्र आदि तैयार कर सकते है |

डी . टी . पी का अर्थ - कंप्यूटर और उससे जूडे उपकरणों द्वारा प्रकाशन का कार्य करना |

यूनिकोड क्या है - कंप्यूटर के बढते व्यवहार और अलग अलग भाषाओं में कंप्यूटर के उपयोग ने एक public code की आवश्यकता को जन्म दिया है |जिसमें हर एक कैरेक्टर के लिए अलग अलग कोड का निर्माण किया है |प्रत्येक भाषा,प्रोग्राम,और प्रत्येक सॉफ्टवेअर में उसका प्रयोग किया जा सके |इसके प्रत्येक कैरेक्टर को ३२ बिट मे निरूपित किया है |

युनिकोड में तीन प्रकार की व्यवस्था प्रयोग में लायी जाती है -

१. यूटीएफ-८ : इसमें समस्त यूनिकोड अक्षरों को एक दो तीन या चार बाइट के कोड में बदला जाता है |

२. यूटीएफ-१६ : यूनिकोड अक्षरों को एक या दो शब्दों (१ शब्द=१६ बिट) के कोड में बदला जाता है |

३. यूटीएफ-३२ : समस्त अक्षरों को दो शब्दों यानी ३२ बिट के यूनिकोड में बदला जाता है |

यूनिकोड का महत्व –

१. प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष नंबर प्रदान करता है|चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो चाहे कोई भी प्रोग्राम चाहे कोई भी भाषा |

2. प्रत्येक अक्षर और वर्ण के लिए एक नंबर निर्धारित करके अक्षर और वर्ण संग्रहित करते है |

३. यूनिकोड का निर्माण होने से पुर्व ऐसे नंबर देने के लिए अनेक विभिन्न संकेत लिपियों की आवश्यकता होती है |

यूनिकोड फॉन्ट :

१ . एरियल

2 . मंगल

3 . अक्षर

4 . अपराजिता

5 . कोकीळा

6 . आर्या

7 . उत्साह

8 . अक्षर

9 . निर्मला यू आई

कंप्यूटर पर यूनिकोड इंस्टॉल :

१. सबसे पहले देखना है कि आपका कंप्यूटर का operating system 32 bit का है या 64 bit का है |

२. यूनिकोड को निम्न साइटस पर डाउनलोड कर सकते है -

http: //www.microsoft.com

www.ildc.gov.in

www.ildc.in

3. सॉफ्टवेअर का डाऊनलोड करने के बाद निर्देश के अनुरूप उसे इंस्टॉल करे

4 . Regional and language option -Keyboard and language -Change Keyboard -General - Add Hindi - Keyboard Devnagati Inscript

को Select कर ok बटन को click करें |

५. अब सारे विंडो बंद कर दें और एक वर्ड फाईल ओपन करें और भाषा बदलने के लिए Alt+Shift बटन को एक साथ दबायें |

६. अब यूनिकोड के फॉन्ट का चयन कर टाइप कर सकते है |

धन्यवाद

अहमदनगर जिला मराठा विद्या प्रसारक समाज का,

श्री मुलिकादेवी महाविद्यालय,निघोज

विषय - हिन्दी

पेपर नं १

भाषाविज्ञान

प्रा .मनिषा गाडीलकर

भाषाविज्ञान

भाषा की परिभाषा

- ‘‘जिन ध्वनिचिह्नों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार–विनिमय करता है, उसे भाषा कहते हैं।’’– बाबूराम सक्सेना
- ‘‘ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है।’’– स्वेट
- ‘‘ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है।’’– डॉ. पी. डी. गुणे
- ‘‘भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित यादृश्चिक ध्वनि प्रतिकों की वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा किसी भाषिक समाज के लोग आपस में विचार–विनिमय करते हैं।’’– डॉ.भोलानाथ तिवारी

भाषा के लक्षण

- भाषा ध्वनिमूलक होती है।
- भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित होती है।
- भाषा प्रतीकात्मक होती है।
- प्रतीक यादृश्चिक होते हैं।
- भाषा एक व्यवस्था है।
- भाषा किसी विशेष या सीमित भाषिक समाज की होती है।

भाषा की विशेषताएँ

- भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है।
- भाषा अर्जित संपत्ति है।
- भाषा का अर्जन अनुकरण से होता है।
- भाषा सामाजिक वस्तु है।
- भाषा परंपरागत होती है।
- भाषा परिवर्तनशील होती है।
- भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता।
- भाषा के विकास की धारा कठिनता से सरलता की ओर जाती है।

- भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर और अप्रौढता से प्रौढता की ओर जाजी है।
- भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है।
- प्रत्येक भाषा की एक भौगोलिक सीमा होती है।
- प्रत्येक भाषा की एक ऐतिहासिक सीमा होती है।
- प्रत्येक भाषा की संरचना अलग होती है।

हिंदी और अन्य विषय

- इतिहास
- भूगोल
- प्रयोग
- निर्माता

भाषा के विविध रूप

- बोली
- विभाषा (उपभाषा)
- प्रादेशिक भाषा
- परिनिष्ठित भाषा
- राजभाषा
- राष्ट्रभाषा
- संपर्क भाषा
- संचार भाषा

बोलियों का वर्गीकरण

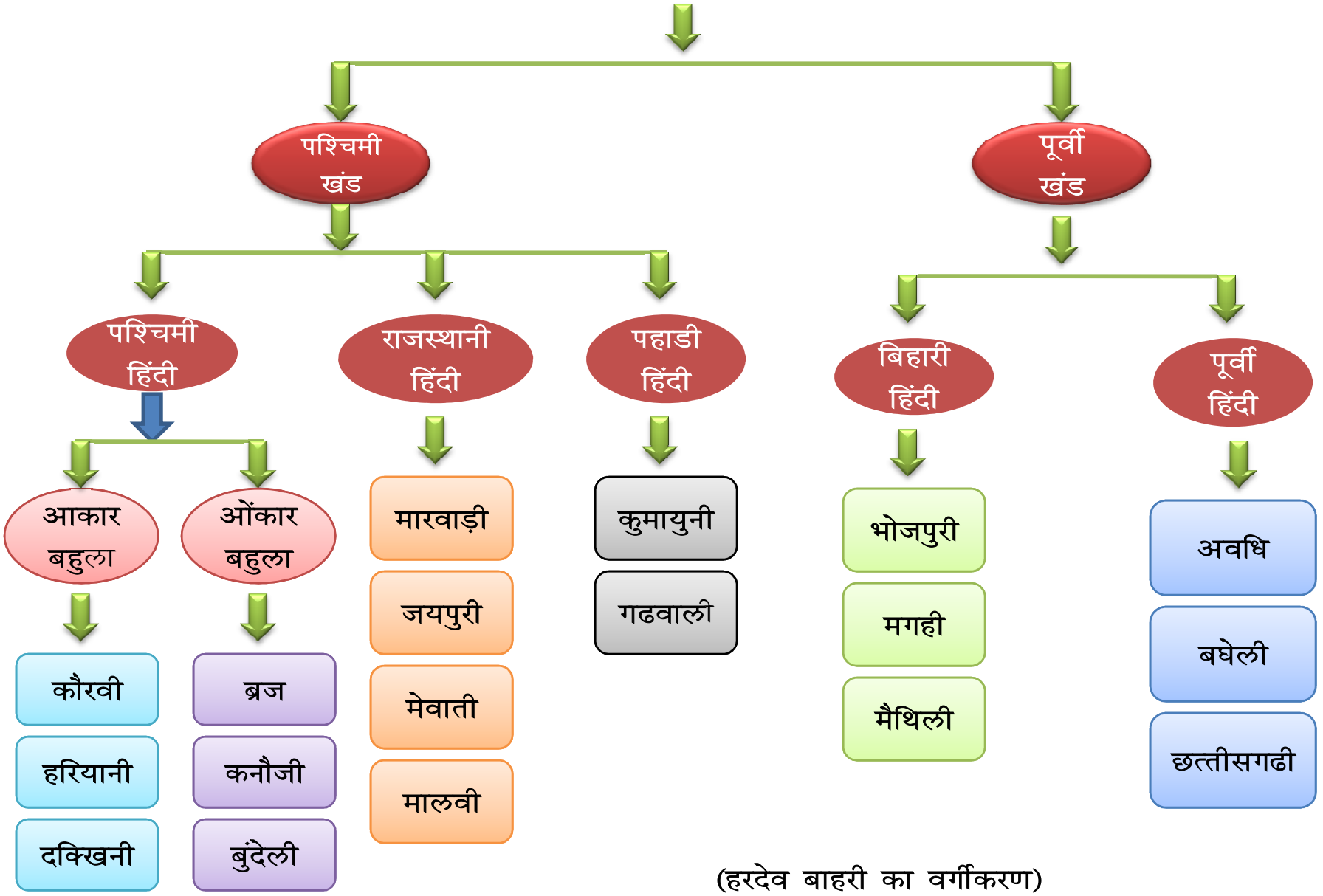

(हरदेव बाहरी का वर्गीकरण)

भाषाविकास के प्रमुख वाद

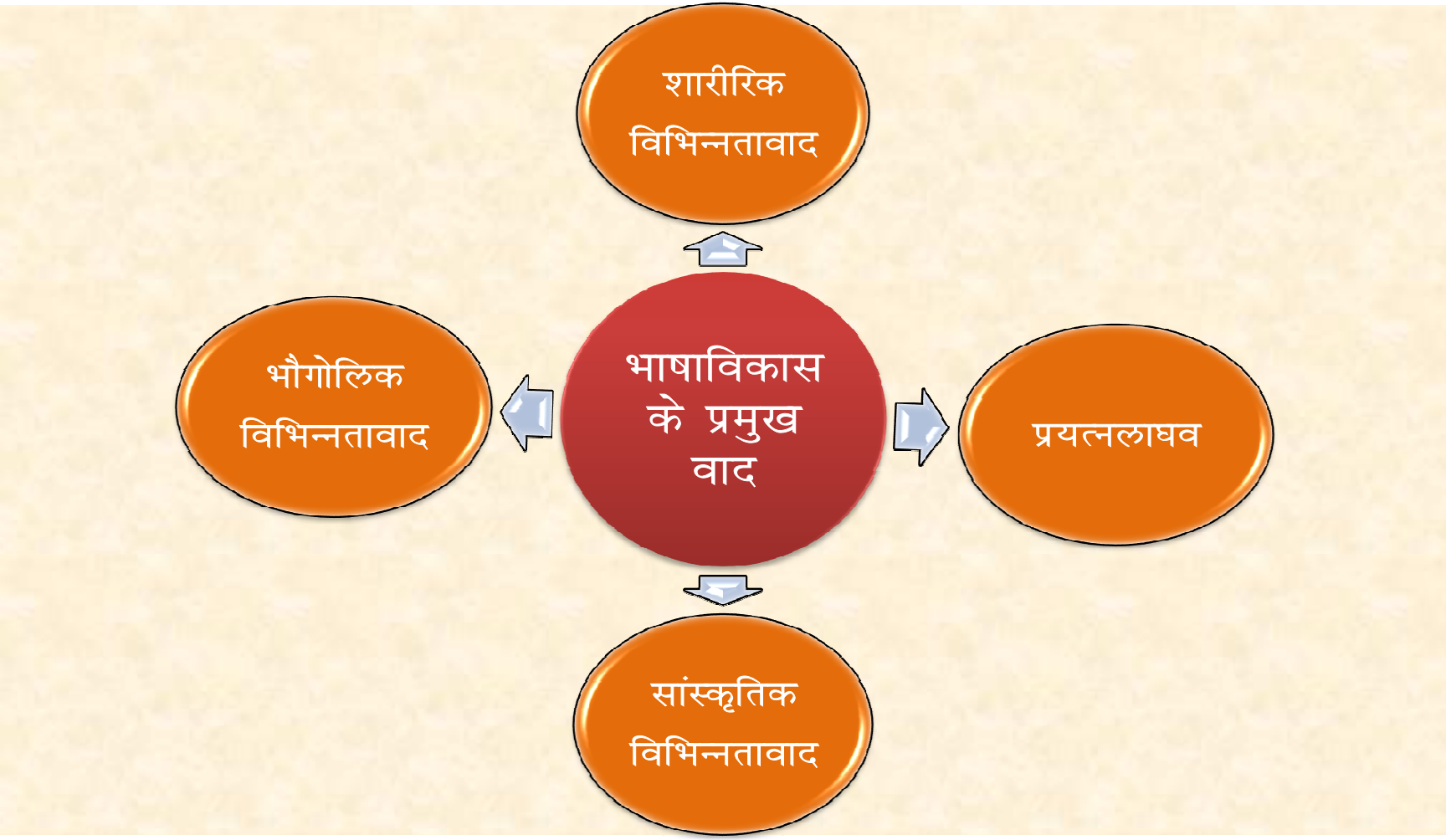

हिंदी का शब्दसमुह

- उद्गम के आधार पर वर्गीकरण
  - तत्सम
  - तद्भव
  - देशज
  - विदेशी

- **तत्सम शब्द—**

  पुस्तक, कवि, वृक्ष, मनुष्य, मुख, नयन, माता, पिता, जल, अग्नि, आकाश, सरोवर, प्रगति, संदेश आदि।

- **तद्भव शब्द—**

  कर्म—काम, सप्त—सात, हस्त—हाथ, अद्य—आज, सर्प—साँप, दधि—दही,

- **देशज—**

  तेंदुआ, कबड्डी, गडबड, घपला, चंपत, खडखड, चटचट, पटकना, सटकना, चुप—चाप, काका, बाबा, मामा, रेलगाडी आदि।

- **विदेशी—**

  पश्तो— गुण्डा, अचार, डेरा, गटागट, गुटरगूँ, आदि।

तुर्की— उर्दू, बहादुर, आका, चाकू, कैची, दारोगा, सुराग आदि।

अरबी—फारसी— रोज़ा, मजहब, सरकार, अदालत, पाजामा, क़मीज, मुहल्ला, परगना, पता, अंजीर, बादाम, सेब, अनार आदि।

पुर्तगाली— अनन्नास, अलमारी, आया, इस्त्री, कमरा, कर्नल, काजू, गोदाम, तम्बाखू, तौलीया, पपीता, पाव, पिस्तौल, बोतल आदि।

अंग्रेजी— इंजन, मोटर, रेडिओ, मशीन, बस, लारी, इंजेक्शन, ऑपरेशन, डॉक्टर, मास्टर, प्रोफेसर, पैंट, सूट, टाई, कोर्ट, वारंट, प्रेस, टाईप, जनवरी, कंपनी, बियर, फिल्म, फर्स्ट, सीनियर आदि।

फ्रांसीसी— कार्तुस, कूपन, फ्रान्स, अंग्रेज आदि।

द्रविड— डोसा, इडली, सांबर, पिल्ला आदि।

मराठी— चालू, बाडा, लागू, श्रीखंड आदि।

बंगाली— उपन्यास, रसगुल्ला, गल्प, संदेश, अभिभावक, आपत्ति, तत्वावधान आदि।

संदर्भ ग्रंथ

१) अभिनव भाषाविज्ञान— डॉ.ओमप्रकाश शर्मा

२) राष्ट्रभाषा प्रचार का इतिहास— संपा.श्री.गंगाशरण सिंह / गो.प.नेने

३) भाषाविज्ञान की भूमिका— डॉ.देवेंद्रनाथ शर्मा

४) सुबोध भाषाविज्ञान— डॉ.पीतांबर सरोदे, प्रा.विश्वास पाटील

५) भाषाविज्ञान प्रवेश— डॉ.भोलानाथ तिवारी

६) सामान्य भाषाविज्ञान— डॉ.बाबूराम सक्सेना

धन्यवाद

सुस्वागतम

अहमदनगर जिला मराठा विद्या प्रसारक समाज का,

श्री मुलिकादेवी महाविद्यालय,निघोज

हिंदी विभाग

भाषा की परिभाषाएँ, विशेषताएँ, उत्पत्ति एवं तत्संबंधी विविध वाद

प्रा . मनिषा गाडीलकर

भाषा की परिभाषाएँ, विशेषताएँ, उत्पत्ति एवं तत्संबंधी विविध वाद

प्रस्तावना

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। जिस प्रकार वह अपने विचार दूसरों को सुनाना चाहता है, उसी प्रकार दूसरों के विचार सुनना भी चाहता है। आत्माभिव्यक्ति की यह इच्छा मनुष्य की स्वाभाविक इच्छा है। आत्माभिव्यक्ति की इस इच्छा (Desire of Self expression) ने ही भाषा को जन्म दिया है। मनुष्य के विचारविनिमय के अनेक साधनों में 'भाषा' एक महत्वपूर्ण साधन है। इस भाषा के व्यापक एवं सीमित अर्थ कौनसे हैं? भाषा की कौनसी महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं? किन-किन विद्वानों ने भाषा को परिभाषाबद्ध करने की कोशिश की है? भाषा की सबसे व्यापक परिभाषा कौनसी है? भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? इस संबंध में कौन-कौनसे सिद्धांत प्रचलित हैं? आदि प्रश्नों के संदर्भ में हम प्रस्तुत इकाई का अध्ययन करेंगे।

विषय-विवेचन

अब हम क्रमशः भाषा की परिभाषाएँ, विशेषताएँ एवं उत्पत्ति संबंधी सिद्धांतो का अध्ययन करेंगे।

I) भाषा की परिभाषाएँ

भाषा की परिभाषाओं का अध्ययन करने से पहले हमें मनुष्य के विचार-विनिमय के विभिन्न साधन एवं भाषा के व्यापक तथा सीमित अर्थ से परिचित होना आवश्यक है। भाषा के दो अर्थ होते है- एक व्यापक अर्थ और दूसरा सीमित अर्थ।

I. व्यापक अर्थ -

भाषा के इस अर्थ में वे सभी साधन आ जाएंगे, जिनके द्वारा मनुष्य परस्पर विचार-विनिमय करता है। इन साधनों को तीन वर्गों में विभाजित किया जा सकता है- स्पर्श ग्राहय, नेत्रग्राहय तथा श्रवणग्राहय।

स्पर्श ग्राहय -

इसके अंतर्गत वे साधन आते है, जिनके द्वारा मनुष्य विचार-विनिमय करते समय स्पर्श का सहारा लेता है। जैसे - पुलिस का खतरा होने पर एक चोर दूसरे का हाथ दबाकर, बिना बोले ही, उस खतरे का संदेश उसे है। इस प्रकार स्पर्श से ही वे आपस में विचार-विनिमय कर लेते हैं।

नेत्र ग्राहय -

इस वर्ग के अंतर्गत वे साधन आते हैं, जिनके द्वारा व्यक्त विचार-विनिमय करते मनुष्य संकेतो का सहारा लेता है। इन संकेतों के द्वारा एक मनुष्य दूसरे तक अपनी बात पहुँचा देता है। चूँकि इन संकेतों का ग्रहण नेत्र करते हैं, इनको नेत्र ग्राहय साधन कहा जाता है। स्काऊटों का परस्पर झंडियों के द्वारा विचार-विनिमय करना अथवा रेल्वे गार्ड का हरी-लाल झंडी हिलाकर गाडी के चलने व रुकने का संकेत देना, विचार-विनिमय के नेत्र-ग्राहय साधन हैं।

श्रवण ग्राहय -

श्रवण ग्राहय वर्ग के अंदर वे समस्त ध्वनियाँ आ जाती हैं, जिनके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है। चुटकी बजाकर किसी को बुलाना या डाक घर के तार बाबू का गर-गिट ध्वनि के द्वरा संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजना, विचार-विनिमय के श्रवण ग्राहय साधन है।

2) सीमित अर्थ -

उपर्युक्त सभी साधनों को भाषा मानने से उसके अर्थ में अतिव्याप्ति हो जाती है, जो भाषा के वैज्ञानिक अर्थ कि दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। वस्तुतः भाषा का अपना सीमित अर्थ है, जो उसको वैज्ञानिक स्वरुप प्रदान करता है।

भाषा के इस सीमित अर्थ में निहित कुछ प्रवृत्तियों का परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक है।

1) भाषा विचार-विनिमय का साधन है।

2) भाषा उच्चारण अवयवों से निकले ध्वनि-प्रतीकों का समूह है।

3) भाषा सार्थक ध्वनि प्रतीकों का समूह है।

4) भाषा के ध्वनि-प्रतीक विश्लेषण योग्य होते है।

5) इन ध्वनि-प्रतीकों का रुप यादृच्छिक होता है।

6) भाषा का प्रयोग समाज का एक वर्ग-विशेष करता है।

इन प्रवृत्तियों के कारण भाषा के अर्थ में अतिव्याप्ति नहीं होने पाती।

भाषा के वैज्ञानिक अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास भारतीय तथा पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिकों ने किया है। उनकी परिभाषाओं के आधार पर भाषा का वैज्ञानिक स्वरुप स्पष्टतया सामने आता है।

3) भाषा की परिभाषाएँ: भारतीय परिभाषाएं-

'भाषा' शब्द संस्कृत के 'भाष्' धातु से बना है। 'भाष्' शब्द का अर्थ है 'बोलना' या 'कहना'। अर्थात भाषा वह है, जिसे बोला जाए।

प्रसिद्ध वैयाकरण पतंजलि ने अपने 'महाभाष्य' में भाषा के अर्थ को इस प्रकार स्पष्ट किया है -

'व्यक्ता वाचि वर्णा येषां त इये व्यक्त वाचः।'

अर्थात "जो वाणी वर्णों में व्यक्त होती है, उसे भाषा कहते हैं।"

हिंदी के अनेक भाषा वैज्ञानिकों ने भी विविध रुप से भाषा को परिभाषित करने का प्रयास किया है -

1) पं. कामता प्रसाद गुरु -

"भाषा वह साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली-भाँति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है।"

2) डॉ. देवेंद्रनाथ शमा -

"जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार-विनिमय या सहयोग करते है, उस यादृच्छिक रुढ़ ध्वनि-संकेत प्रणाली को भाषा कहते है।"

3) डॉ. मंगलदेव शास्त्री -

"भाषा मनुष्य की उस चेष्टा या व्यापार को कहते है, जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं।"

4) डॉ. श्यामसुंदर दास -

"मनुष्य और मनुष्यों के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान-प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं।

5) सुकुमार सेन - "अर्थवान कण्ठ से निःसृत ध्वनि-समाष्टि हो भाषा है।

6) पी.डी. गुण –

'ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत भावों तथा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है।"

7) डॉ. भोलानाथ तिवारी -

"भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित मूलतः प्रायः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान-प्रदान करते है।"

4) भाषा की परिभाषाएँ: पाश्चात्य -

1) प्लेटो -

'सोफिस्ट' में विचार और भाषा के संबंध में लिखते हुए प्लेटो ने कहा है कि विचार और भाषा में थोडा ही अंतर है। "विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है, तो उसे भाषा की संज्ञा देते है।"

2) स्वीट -

"ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों को प्रकट करना ही भाषा है।"

3) वेंद्रिए -

"भाषा एक प्रकार का चिहन है। चिहन से तात्पर्य उन प्रतीकों से है, जिनके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक संप्रेषित करता है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते है - जैसे नेत्रग्राह्य, कर्णग्राह्य एवं स्पर्शग्राह्य। भाषा की दृष्टि से वास्तव में कर्णग्राह्य प्रतीक ही सर्वश्रेष्ठ है।"

4) कार्डिनर -

"The common definition of speech is the use of articulate sound symbols for expression of thought."

अर्थात विचारों की अभिव्यक्ति के लिए व्यवहृत व्यक्त और ध्वनि संकेतों को भाषा कहते है।

5) क्रोचे -

Language is articulate, limited, organized sound employed in expression.

अर्थात अभिव्यंजना के लिए प्रयुक्त स्पष्ट सीमित, सुसंगठित ध्वनि को भाषा कहते है।

भाषा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ (विशेषताएँ) इस प्रकार है।

1) भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है।

2) भाषा अर्जित संपत्ति है।

3) भाषा आद्यंत सामाजिक वस्तु है।

4) भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है।

5) भाषा चिर परिवर्तनशील है।

6) भाषा का कोई अंतिम रुप नहीं होता।

7) भाषा परंपरागत होती है।

8) भाषा का एक सामाजिक स्तर होता है।

9) प्रत्येक भाषा की ऐतिहासिक सीमा होती है।

10) प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है।

11) भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है।

12) भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर और अप्रौढता से प्रौढता की ओर अग्रसर होती है।

13) भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है।

14) प्रत्येक भाषा की संरचना अलग-अलग होती है।

I) भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है-

कुछ विद्वानों के अनुसार पिता की भाषा पुत्र को मिलती है। जिस प्रकार पैतृक संपत्ति पुत्र को मिलती है, उसी प्रकार भाषा भी असे धरोहर के रुप में मिल जाती है। किंतु यह मत सर्वथा मिथ्या है। यदि किसी भारतीय बच्चे को एक-दो वर्ष की अवस्था में इंग्लैड आदि में रखा जाए, तो वह अंगेजी ही समझ या बोल सकेगा, वही उसकी मातृभाषा होगी। यदि भाषा पैतृक सम्पत्ति होती, तो वह कहीं पर भी भारतीय भाषा का ही प्रयोग करता।

2) भाषा अर्जित संपत्ति है-

मनुष्य अपने चारों ओर के वातावरण से भाषा का अर्जन करता है। यह बात ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट हो जाती है। यदि भारतीय बालक को अंग्रेजी वातावरण मे रखा गया, तो वह अंग्रेजी ही सीखेगा, न कि हिंदी या कोई अन्य भारतीय भाषा। इससे यह स्पष्ट होता है कि भाषा के अर्जन में वातावरण का प्रभाव पढ़ता है। इस प्रकार कहा जाता है कि भाषा अर्जित सम्पत्ति है, न कि पैतृक।

3) भाषा आद्यंत सामाजिक वस्तु है-

भाषा की उत्पत्ति समाज से होती है, उसका विकास समाज में होता है, उसका अर्जन समाज से होता है और उसका प्रयोग भी समाज में ही होता है। इसलिए उसे आद्यंत सामाजिक संपत्ति कहा जाता है। समाज से पृथक किसी भाषा की कल्पना ही असंभव है। भाषा के लिए समाज की इस अनिवार्यता के कारण ही भाषा को सामाजिक व्यवहार कहा जाता है।

4) भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है-

अरस्तू के अनुसार अनुकरण मनुष्य का सबसें बड़ा गुण है। भाषा सीखनें में भी मनुष्य उसी का उपयोग करता है। छोटा बालक अपने माता-पिता, गुरु और समाज से भाषा को सुनता है और उसे अनुकरण से अर्जित करता है। माँ दूध कहेगी तो बच्चा दूध कहेगा। इस प्रकार बचपन में माता-पिता आदि के द्वारा उच्चारित शब्दों का बच्चा अनुकरण करता है। कई बार अशुद्ध एवं अस्पष्ट उच्चारण करता है। धीरे-धीरे शुद्ध शब्दों को बोलने में समर्थ हो जाता है। काल की संकल्पनाओं को भी वह अनुकरण से ही सीखता है।

5) भाषा चिर परिवर्तनशील है-

परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। यह संसार स्वतः परिवर्तनशील है। इस संसार की हर वस्तु परिवर्तन से प्रभावित होती है। यही कारण है कि मनुष्यों के द्वारा प्रयुक्त भाषा भी परिवर्तनशील है। उसका निरंतर विकास होता रहता है। एक भाषा का जो रुप आज देखने को मिलता है वह सौ वर्ष पहले नहीं था। और जो सौ वर्ष पहले था, वह उससे पहले नहीं था। जैसे - वेद ग्रंथो में प्रयोग नहीं हुआ है। ध्वनि, शब्द, व्याकरण, अर्थ इनमें कहीं न कहीं परिवर्तन होता ही रहता है, जैसे - बिंदु से बूँद, मेघ से मेह, शाक से साग में ध्वनि परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देता है। इसी तरह प्रयोग में आने वाले शब्दों का प्रयोग एक दिन समाप्त होता है और नए शब्द उत्पन्न होकर प्रयोग में आने लगते है। जैसे सत्याग्रह और आंदोलन जैसे शब्द सन 1921 के बाद प्रयोग आने लगे। कालांतर से अर्थ में भी परिवर्तन होने लगा, जैसे वैदिक भाषा में असुर शब्द का अर्थ 'देव' होता था, जो बाद में 'राक्षस' का वाचक बन गया। भाषा की परिवर्तनशीलता के कारण ही एक ही परिवार की भाषा सिंधी, हिंदी, गुजराती, मराठी आदि अनेक भाषाओं में बदल गई तथा प्रत्येक भाषा की कई बोलियाँ और उपबोलियाँ बन गई। भाषा की इस परिवर्तनशील प्रवृत्ति के दो मुख्य आधार है –

1) शारीरिक और
2) मानसिक।

भाषा के परिवर्तन में यही दोनों कार्य करते है।

6) भाषा का कोई अंतिम रुप नहीं होता-

भाषा का कोई अंतिम रुप नहीं होता। भाषा आवश्यकतानुसार सदा परिवर्तित होती रहती है। भाषा में संबंध में यह कभी नहीं कहा जा सकता कि यही भाषा का अंतिम स्वरुप है। कबीर ने कहा है, 'भाषा बहता नीर'। इसी प्रवाह के कारण जहाँ भाषा अपने प्राचीन शब्दों को छोडती चलती है, वहीं नए शब्दों को ग्रहण कर लेंती है। और ये शब्द उसके प्रयोग प्रवाह में अविच्छिन्न रुप से चलने लगते हैं। अपवाद रुप में संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है, जिसे पणिनि के व्याकरण ने इतना स्थिर कर दिया कि शताब्दियों की यात्रा में भी उसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं हुआ है। संस्कृत को छोडकर संसार की सभी भाषाएँ दिन-प्रति-दिन परिवर्तित होती है। जहाँ भाषा में स्थिरता आती है, वहाँ भाषा मृत बन जाती है। परिवर्तन बौर अस्थैर्य ही भाषा के जीवन के द्योतक हैं।

7) भाषा परंपरागत होती है-

भाषा परंपरागत वस्तु है। भाषा परंपरा से मनुष्य को प्राप्त होती है और वह वंश परंपरा से अग्रसर होती हुई चली जाती है। संस्कृत भाषा सहस्त्रो वर्षो से परंपरा से चली आ रही है। इसी प्रकार भारत में मराठी, हिंदी, गुजराती, पंजाबी, बंगला परंपरा से चली आ रही है। समय के साथ भाषा बदलती रहती है, परंतु उसका प्रवाह खंडित नहीं होता। यदि भाषा का कोई जनक या जननी है, तो वह समाज और परंपरा है।

8) भाषा का एक सामाजिक स्तर होता है -

जिस प्रकार एक समाज में भाषा का प्रयोग करने वाल व्यक्तियों का सामाजिक स्तर अलग-अलग होता है, उसी प्रकार उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा का भी सामाजिक स्तर विभिन्न होता है। समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार, व्यापारी, वकील, मजदूर आदि विभिन्न वर्ग होते है और उनका मानसिक स्तर भी अलग-अलग होता है। उदाहरण के लिए यदि सभी हिंदी भाषा का प्रयोंग करते हैं, तो एक भाषा का प्रयोग करते हुए भी उनके द्वारा प्रयुक्त हिंदी का स्तर अलग-अलग होगा।

9) प्रत्येक भाषा की ऐतिहासिक सीमा होती है -

प्रत्येक भाषा की ऐतिहासिक सीमा होती है। ऐतिहासिक भाषाविज्ञान प्रत्येक भाषा के इस ऐतिहासिक पक्ष केा लेता है। प्रत्येक भाषा प्रारंभ में किस रुप में थी। बाद में बदलकर किस रुप में आई, वह किस समय किस समय तक प्रचलित रही, इन बातों पर ऐतिहासिक भाषाविज्ञान में विचार होता है। इस दृष्टि से संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश आदि का समय निर्धारित किया गया है।

10) प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है-

भाषा के संबंध में एक कहावत है 'चार कोस पर पानी बदले आठ कोस पर बानी।' कहने का तात्पर्य यह है कि एक विशेष भूखंड की भाषा भी विशिष्ट होती है। तात्पर्य एक भूखंड विशेष में प्रयुक्त भाषा दूसरे भूखंड विशेष में प्रयुक्त भाषा से निश्चित रुप से अलग होती है। उदाहरण के लिए बंगला नामक भूखंड की भाषा यदि बंगाली है, तो पंजाब नामक भूखंड की भाषा पंजाबी है। इसी प्रकार अंग्रेजी, रुसी, चीनी की भी अपनी-अपनी निर्धारित भौगोलिक सीमाएँ हैं।

।।) भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है-

मनुष्य स्वभाव से ही सरलता प्रिय प्राणी है। वह हर क्षेत्र में श्रम और शक्ति की बचत करना चाहता है। अतः वह कम से कम श्रम में अधिक से अधिक कार्य करना चाहता है। मनुष्य की यह प्रवृत्ति भाषा के क्षेत्र में भी सक्रिय रहती है। जिस प्रकार जल की धारा ऊपर से नीचे की ओर जाती है, उसी प्रकार भाषा भी कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। जनसाधारण में यह प्रवृत्ति स्पष्टतया परिलक्षित होती है। प्रयत्न लाघव, मुखसुख आदि कई कारणों से भाषा में कई परिवर्तन होते है। जैसे, सत्येंद्र का सतेंद्र, फिर सतेंदर, फिर सतिंदर और सतेज कहने लगते हैं। उपाध्याय का झा, मुखोपाध्याय का मुखर्जी आदि भी इसी के उदाहरण हैं।

12) भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर और अप्रौढता से प्रौढता की ओर अग्रसर होती है -

सभ्यता और संस्कृति के विकास के साथ-साथ भाषा स्थूलता की ओर जाती है। अर्थात भाषा में परिष्कार होता है। इसी परिष्कार के कारण भाषा शिथिलता के स्थान पर चुस्त बन जाती है। जिसके कारण अभिव्यक्ति में विस्तार के स्थान पर सूक्ष्मता आ जाती है और भाषा प्रौढ़ हो जाती है। प्रौढ़ता से यहाँ मतलब विचारों और अनुभूतियों को गहराई से व्यक्त करने की क्षमता से है। जैसे - मैं जाता हूँ, पढ़ता हूँ के स्थान पर - मैं जाकर पढ़ता-लिखता हूँ। प्रौढ़ता का उदाहरण है।

प्राचीन हिंदी की तुलना में आज की हिंदी प्रौढ़ और सूक्ष्म है। द्विवेदी कालीन विवरणात्मक भाषा छायावाद-काल की भाषा की अपेक्षा अप्रौढ़ ही समझी जाएगी।

13) भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है-

भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। संयोग का अर्थ है - मिली हुई स्थिति और वियोग का मतलब है अलग-अलग होना। अब तो यह बात स्वीकार करनी पड़ती है कि भाषा संयोग से वियोग की ओर जाती है, जैसे - रामः गच्छति से राम जाता है। कहा जा सकता है कि संस्कृत से हिंदी वियोगात्मक हो गई है।

14) प्रत्येक भाषा की संरचना अलग-अलग होती है-

प्रत्येक भाषा की अपनी संरचना अलग होती है। अर्थात् प्रत्येक भाषा का ढांचा पूर्णतया स्वतंत्र होता है। ध्वनि, शब्द, रुप, वाक्य, अर्थ की दृष्टि से दो भाषाओं मं इसी कारण अंतर आ जाता है। जैसे - हिंदी में दो लिंग है, गुजराती में तीन, हिंदी मे दो वचन हैं, तो संस्कृत मे तीन। इस प्रकार प्रत्येक भाषा की संरचना दूसरी भाषा से अलग होती है।

5) भाषा की उत्पत्ति एवं तत्संबंधी विविध वाद -

भाषा की उत्पत्ति का अध्ययन करने के दो मार्ग है –

अ) प्रत्यक्ष मार्ग,

आ) परोक्ष मार्ग

अ) प्रत्यक्ष मार्ग -

भाषा की उत्पत्ति की खोज के लिए प्रत्यक्ष मार्ग एक सीमा मार्ग है, इसके अंतर्गत वे सभी सिद्धांत या वाद रखे जाते हैं, जिन्हें भाषावैज्ञानिकों ने भाषा की उत्पत्ति के संबंध में प्रस्तुत किया है। इनमें से प्रमुख सिद्धांतो अथवा वादों का विवेचन हम निम्नांकित रुप में करेंगे -

2) धातु सिदधांत (Root Theory)

धातु सिद्धांत के अन्य नाम रणन सिद्धांत, Ding-Dong Theory हैं। इस सिद्धांत की ओर सर्वप्रथम संकेत प्लेटा ने किया, लेकिन इसे व्यवस्थित रुप से प्रस्तुत करने का श्रेय जर्मन विद्वान हेस को है। उसके प्रवर्तक मैक्समूलर भी माने जाते हैं।

आक्षेप/समीक्षा -

1) आदि मनुष्य के संबंध में इस प्रकार की कल्पना के लिए कोई आधार नहीं है।

2) संसार की सभी भाषाओं में धातुएँ नहीं पाई जाती।

3) भाषा धातुओं के अतिरिक्त प्रत्यय और उपसर्ग आदि लगाने से भी बनती है। इस सिद्धांत में इस संबंध में कुछ भी नहीं कहा गया है।

4) डॉ. हरीश शर्मा मानते है कि धातुएँ मनुष्य के प्रौढ़ मस्तिष्क की उद्भावनाएँ हैं, न कि आदि मनुष्य की। इन आधारों पर सिद्धांत का कोई महत्व नहीं। इसी आधार पर मैक्समूलर ने इसे बाद में छोड दिया था।

3) अनुकरण सिद्धांत (Imitative Theory)

इस सिद्धांत के अनुसार भाषा की उत्पत्ति अनुकरण के आधार पर हुई होगी। इस सिद्धांत को माननेवाल विद्वांनो का तर्क है कि मनुष्य ने पहले अपने आस-पास के जीवों और पदार्थों की ध्वनियों का अनुकरण किया होगा और फिर उसी आधार पर शब्दों का निर्माण किया होगा। इस सिद्धांत के अंतर्गत तीन उप सिद्धांत रखे जाते हैं -

अ) ध्वन्यात्मक अनुकरण सिद्धांत

ब) अनुरणनात्मक अनुकरण सिद्धांत

क) दृश्यात्मक अनुकरण सिद्धांत

आक्षेप/समीक्षा -

I) रेणन ने इस सिद्धांत का विरोध करते हुए कहा है कि, "यह मानना हास्यास्पद है कि मनुष्य ने पशु-पक्षियों की ध्वनियों के अनुकरण द्वारा भाषा सीखी। विश्व का सर्वश्रेष्ठ एवं विकसित प्राणी होते हुए भी वह स्वयं कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सका और दूसरों की ध्वनियों का उसे अपनी भाषा बनाने के लिए सहारा लेना पड़ा।"

2) कुछ ऐसी भाषाएँ हैं, जिनमें ऐसे शब्द हैं ही नहीं। अमेरिका की 'अथबस्कन' भाषा में अनुकरणात्मक शब्दों का पूर्ण अभाव है।

4) संपर्क सिद्धांत (Contact Theory)

इस सिद्धांत के प्रतिपादक प्रो. जी. रेवज हैं, जो मनोविज्ञान के विद्वान थे। इस सिद्धांत मे 'संपर्क' का अर्थ सामाजिक जीवों में आपसी संपर्क रखने की सहजात प्रवृत्ति है। समाज का निर्माण इसी प्रवृत्ति के कारण हुआ है। आदिम मनुष्य के भी छोटे-छोटे वर्ग या समाज थे। उनमें आपस में प्रारंभिक भावनाओं (भूख-प्यास, कामेच्छा, रक्षा आदि से सम्बद्ध) को एक-दूसरे पर अभिव्यक्त करने के लिए विभिन्न स्तरों पर तरह तरह के संपर्क स्थापित किए जाते थे। इन संपर्को के लिए स्पर्श आदि का सहारा भी चलता रहा होगा; परंतु साथ ही सुख से उच्चरित ध्वनियाँ भी सहायक रही होगी। भाषा उसी का विकसित रुप है।

आक्षेप/समीक्षा -

भाषा के विकास पर प्रकाश डालने वाला यह एक शक्तिशाली सिद्धांत है। फिर भी यह सिद्धांत मूलतः भाषा के विकास से संबंधित होने कारण इससे भाषा की उत्पत्ति के संबंध में जानकारी नहीं मिलती।

5) समन्वित सिद्धांत

समन्वित सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक स्वीट महोदय ने किया है। उन्होंने भाषा की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतो का समन्वित रुप लेकर भाषा की उत्पत्ति पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि प्रारंभिक अवस्था में भाषा भाव-संकेत या इंगित और ध्वनि-समूह पर आधारित थी। ध्वनि-समूह से शब्दों का विकास माना जाता है। वे शब्द तीन प्रकार के थे-

1) अनुकरणात्मक
2) भावावेश-व्यंजक
3) प्रतीकात्मक।

स्वीट इन तीनों का समन्वय आवश्यक समझते हैं।

आक्षेप/समीक्षा -

1) यह सिद्धांत अनेक सिद्धांतों का मिश्रण है। इस सिद्धांत के पूर्व जितने सिद्धांत हैं, वे मानव को वाणीविहीन मानते हैं। इस सिद्धांत में भी आदिम मानव को वाणी विहीन कल्पित करना अनुचित है।

2) इस सिद्धांत के विवेचन से स्पष्ट होता है कि भाषा की उत्पत्ति की समस्या सुलझ गई है; पर वस्तुस्थिति यह है कि भाषा की उत्पत्ति की समस्या आज तक सुलझी नहीं है।

इस सिद्धांत के संबंध में कहा जा सकता है कि यह सिद्धांत एक व्यापक सिद्धांत है। अन्य सिद्धांतों की अपेक्षा अधिक तर्कसंगत एवं उपयोगी है।

6) भाषा की परिवर्तनशीलता के कारण -

भाषा की परिवर्तनशीलता से तात्पर्य भाषा-विकास से है। लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि भाषा के विकास का आशय भाषा का अच्छी, और अच्छी, या ऊँची होना नही है। बल्कि विकास का अर्थ केवल आगे बढ़ना या परिवर्तन है। परिवर्तन से भाषा अभिव्यंजना शक्ति, माधुर्य तथा ओज आदि की दृष्टि से उठ भी सकती है और भी जा सकती है। हां, इतना जरुर कहा जा सकता है कि भाषा प्रायः कठिनता मे सरलता की ओर जाती है।

I. आंतरिक या अभ्यंतर कारण

इन्हें 'भीतरी कारण' भी कहा जाता है। इस वर्ग के अंतर्गत भाषा की अपनी स्वाभाविक गति के साथ-साथ वे कारण भी सम्मिलित हैं, जो प्रयोक्ता की शारीरिक या मानसिक योग्यता आदि संबंधी स्थिति से संबंध रखते है। संक्षेप में, जो कारण भाषा की प्रकृति या स्वरुप से सम्बद्ध हैं, उन्हें अभ्यंतर कारण कहा जा सकता है। इस वर्ग के अंतर्गत आने वाले कुछ प्रधान कारण इस प्रकार हैं -

अ) प्रयत्न-लाघव

ब) अधिक प्रयोग

क) बलाघात

2. बाहरी या बाह्य कारण -

बाहरी या बाह्य वर्ग के अंतर्गत वे कारण आते है, जो भाषा से भाषा को प्रभावित करते है।

1. व्यक्तिगत प्रभाव
2. सामाजिक प्रभाव
3. धार्मिक प्रभाव
4. राजनीतिक प्रभाव
5. सांस्कृतिक प्रभाव
6. भौगोलिक प्रभाव
7. वैज्ञानिक प्रभाव

7) भाषा के विविध रुप-

अलग-अलग भाषा विद्वानों ने अलग-अलग आधारों पर भाषा के विविध भेद किए हैं। भाषा के विविध रुपों का अध्ययन करने के पूर्व भाषा के मुलाधार तत्वों पर संक्षेप में विचार करना अनुचित न होगा।

8) भाषा-भेद के मूलाधार तत्व -

भाषा वैज्ञानिकों के भाषा-भेद छः मूलाधार तत्व स्वीकार किए हैं, जो इस प्रकार हैं -

I) इतिहास -

इतिहास के आधार पर मूलभाषा (जैसे - भारोपीय), प्राचीन भाषा (जैसे - संस्कृत, ग्रीक आदि), मध्यकालीन भाषा (जैसे - पालि, प्राकृत, अपभ्रंश आदि) तथा आधुनिक भाषा (जैसे - हिंदी, अंग्रेजी आदि) का उल्लेख किया जाता है।

2) भूगोल -

हर भाषा की अपनी भौगोलिक सीमा होती है। आज आधुनिक आर्यभाषा के विविध रुप भौगोलिक आधार पर ही बने हैं; जैसे मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगला उडिया आदि।

3) प्रयोग -

प्रयोग के आधार पर भी भाषा को विविध रुपों में विभाजित किया जाता है। प्रयोग करने वाला किस वर्ग, जाति, धर्म आदि से सम्बद्ध हैं; उसके अनुसार भाषा के अनेक रुप होते हैं; जैसे - बोलबाल की भाषा, साहित्यिक भाषा, व्यावसायिक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा आदि।

4) निर्माता -

निर्माता के आधार पर भाषा के सहज भाषा, सामान्य बोलबाल की भाषा (जैसे - हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन आदि भाषाएँ) तथा कृत्रिम भाषा (जिसे एक या कुछ लोगों ने मिलकार कृत्रिम रुप से बनाया हो, जैसे - एस्पेरैंतो तथा इडो आदि) कृत्रिम भाषा के भी दो उपभेद हैं - सामान्य (जैसे एस्पेरैंतो) और गुप्त (जैसे सेना, दलालों, डाकुओं आदि की भाषा)।

5) मानकता -

मानकता या शुद्धता के आधार पर भी भाषा का कई रुपों में विभाजन किया जाता है; जैसे मानक या परिनिष्ठित भाषा, अमानक भाषा, अपभाषा आदि।

6) प्रचलन -

प्रचलन के आधार पर मातृभाषा, जीवित भाषा, अप्रचलित भाषा जैसे रुप बनते हैं।

उपर्युक्त भाषा भेद के मुख्य आधारों के अतिरिक्त वक्ता, श्रोता, परिवेश, उद्देश आदि की भिन्नता के कारण भाषा के अनेक रुप हो जाते हैं। कुछ प्रमुख रुप इस प्रकार हैं-

9) बोली

'बोली' शब्द की व्युत्पत्ति 'बोलना' धातु से हुई है। भाषा का संकीर्णतम या लघुरुप है - 'व्यक्ति-बोली'। एक व्यक्ति की भाषा को 'व्यक्ति-बोली' कहा जाता है। इसी प्रकार बहुत सी व्यक्ति-बोलियों का सामूहिक रुप 'उपबोली या स्थानीय बोली' कहलाता है। अंग्रेजी में इसे Sub Dialect or Local Dialect कहतें हैं। इसका प्रयोग एक छोटे से क्षेत्र में होता है। डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार - "किसी छोटे क्षेत्र की ऐसी व्यक्ति-बोलियों का सामूहिक रुप, जिनमें आपस में कोई स्पष्ट अंतर न हो, स्थानीय बोली या उपबोली कहलाता है।" और जिसे हम 'बोली' कहते हैं वह बहुत-सी मिलती-जुलती उपबोलियों का सामूहिक रुप होती है। 'बोली' शब्द यहाँ अंग्रेजी डायलेक्ट (Dialect) का प्रतिशब्द है। हिंदी के कुछ भाषा-वैज्ञानिक बोली के लिए 'विभाषा', 'उपभाषा' या "प्रांतीय भाषा" शब्द का प्रयोग भी करते हैं।

डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार, "'बोली' किसी भाषा के एक ऐसे सीमित क्षेत्रीय रुप को कहते हैं, जो ध्वनि, रुप, वाक्य, गठ, अर्थ, शब्द-समूह तथा मुहावरे आदि की दृष्टि से, उस भाषा के परिनिष्ठित तथा अन्य क्षेत्रीय रुपों से भिन्न होता है, किंतु इतना भिन्न नहीं कि अन्य रुपों के बोलने वाले उसे समझ न सकें, साथ ही जिसके अपने क्षेत्र में की भी बोलने वालों के उच्चारण, रुप-रचना, वाक्य-गठन, अर्थ, शब्द-समूह तथा मुहावरों आदि में कोई बहुत स्पष्ट और महत्वपूर्ण भिन्नता नहीं होती।"

10) बोलियों के बनने के कारण -

बोलियों के बनने के कारण मुख्यतया भौगोलिक हैं -

1. किसी भाषा की एक शाखा का अन्य शाखाओं से अलग होना ही बोलियों के बनने का प्रधान कारण है।

2. यदि कोई भाषा बहुत दिनों से एक बडे क्षेत्र में बोली जा रही है और उस क्षेत्र में अगर दूरी के कारण एक उपक्षेत्र के लोग दूसरे उपक्षेत्र के लोगों से नहीं मिल पाते, तो उन उपक्षेत्रों में अलग-अलग बोलियाँ विकसित हो जाती हैं।

3. भूकम्प या जल-प्लावन से भी कभी-कभी ऐसी परिस्थितियाँ निर्माण हो जाती हैं कि एक क्षेत्र के लोग दूसरे क्षेत्र के लोगों से मिल नहीं पाते और बोलियाँ विकसित हो जाती हैं।

4. किसी बड़ी नदी के दोनों ओर की बस्तियाँ भी इसीकारण भाषिक दृष्टि से कुछ अंतर रखती हैं।

5. कभी-कभी राजनीतिक या आर्थिक कारणों से भी कुछ लोग अपनी भाषा के क्षेत्र से बहुत दूर जाकर बसते हैं और वहाँ उनकी नई बोली विकसित हो जाती है।

6. इसके अतिरिक्त आसपास की भाषाओं के प्रभाव के कारण भी एक भाषा में एक क्षेत्रीय रुप विकसित हो जाता है और वह बोली का रुप धारण कर लेता हैं।

I I) बोली और भाषा में अंतर -

बोली और भाषा के बीच स्पष्ट विभाजक रेखा खींचना अत्यंत कठिन है। वस्तुतः ये केवल नाम हैं, जो शास्त्रीय विवेचन के लिए आवश्यक हैं। जब बोली ही किन्हीं कारणों से प्रमुखता प्राप्त कर लेती है, तो भाषा कहलाने लगती है। इसलिए बोली और भाषा का अंतर प्रकार का नहीं, केवल मात्रा का है। फिर भी सामान्यतः कुछ बातें कहीं जा सकती हैं -

1. भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है और बोली का सीमित।

2. एक भाषा के अंतर्गत अनेक बोलियाँ होती हैं, किंतु एक बोली के अंतर्गत अनेक भाषाए नहीं हो सकती।

3. किसी भाषा की विभिन्न बोलियों में परस्पर बोधगम्यता रहती है, किंतु विभिन्न भाषाओं में नही।

4. भाषा का प्रयोग साहित्य, शिक्षा, शासन, न्याय, उद्योग, व्यवसाय, पत्रकारिता आदि अनेक क्षेत्रों में होता है, जबकि बोली का प्रयोग घर-परिवार और दैनिक व्यवहार के लिए ही होता है।

5. भाषा व्याकरण के नियमों से अनुशासित होती है, जबकि बोली व्याकरणिक दृष्टि से काफी उन्मुक्त होती है। यही कारण है कि बोली भाषा की तुलना में अधिक तेजी से बदलती है।

6. भाषा का मानक या परिनिष्ठित रुप होता है, किंतु बोली का कोई मानक रुप नहीं होता।

7. भाषा बोली की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिष्ठित होती है; अतः औपचारिक परिस्थितियों में प्रायः लोग बोली के बदले भाषा का प्रयोग करते हैं।

8. बोली जानने वाले लोग अपने क्षेत्र के लोगों से बातचीत करते समय तो बोली का प्रयोग करते हैं, परंतु अपने क्षेत्र के बाहर के लोगों से बातचीत करते समय भाषा का प्रयोग करते है।

इस प्रकार भाषा और बोली का यह अंतर तात्विक न होकर व्यावहारिक है।

12) परिनिष्ठित भाषा -

कोई भी भाषा पहले बोली के रुप में जन्म लेती है। उसका प्रारम्भिक रुप काफी अनगढ़ होता है। उसका प्रयोग मनुष्य घर परिवार में करता हैं। परंतु सभ्यता के विकसित होने पर यह आवश्यक हो जाता है कि एक भाषाक्षेत्र की कोई एक बोली मानक मान ली जाए और पूरे क्षेत्र से संबंधित कार्यों के लिए उसका प्रयोग हो। भाषा के उस रुप को 'परिनिष्ठित', 'परिष्कृत', 'परिष्कृत', 'मानक', 'आदर्श', 'स्तरीय', 'टकसाली' आदि कई नामों से जाना जाता है, जो अंग्रेजी के 'स्टँडर्ड' (Standard) शब्द का रुपांतर है।

डॉ. श्यामसुंदरदास के अनुसार, "कई विभाषाओं में व्यवहत होने वाली एक शिष्ट-परिगृहित विभाजत ही भाषा (राष्ट्रीय भाषा अथवा टकसाली भाषा) कहलाती है।"

अहमदनगर जिला मराठा विद्या प्रसारक समाज का,

श्री मुलिकादेवी महाविद्यालय,निघोज

विषय - हिन्दी

पेपर नं ४

हिंदी साहित्य का इतिहास

हिंदी साहित्य का कालविभाजन

प्रा . मनिषा गाडीलकर

पेपर नं ४
हिंदी साहित्य का कालविभाजन

- हिंदी साहित्य का कालविभाजन -
- प्रस्तावना-हिंदी साहित्य बहती हुई नदी के समान है |वह निरंतर बहता ही रहता है |इसी साहित्य को अथ्ययन की सुविधा के लिए उसे कई विद्वानों ने अलग-अलग भागों मे विभाजित करने का प्रयास किया है | वह निम्न रूप में-
- 1 . गार्सा-द-तासी-इन्होंने अपने ग्रंथ ‘ इस्त्वार द ला लितरेत्यूर ऐंदुई एंदूस्थानी’ इस ग्रंथ में पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है |

2 . शिवसिंह सेंगर

इन्होंने 1883 में अपने ग्रंथ ‘ शिवसिंह सरोज’ में केवल 1000 छोटे मोटे कवियों का परिचय दिया है |

3 . जार्ज ग्रियर्सन

इन्होंने अपने ग्रंथ 'द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदूस्थान' इस ग्रंथ का 11 अध्यायों में विभाजित किया है-

1 . चारण काल

2 . पम्द्रहवी शती का धार्मिक पुनर्जागरण

3 . जायसी की प्रेमकविता

4 . ब्रज का कृष्ण संप्रदाय

5 . मुगल दरबार

6 . तुलसीदास

7 . रीतिकाव्य

8 . तुलसी के अन्य परवर्ती कवि

9 . अठ्ठारहवी शताब्दी

10 . कंपनी के शासन में हिंदूस्तान

11 . रानी विक्टोरिया के शासन में हिंदूस्तान

4 . आ . मिश्र बंधू

मिश्र बंधूओं ने 1913 में अपने ग्रंथ 'मिश्रबंधू विनोद' में निम्न कालविभाजन किया है-

1 . आरंभिक काल -क)पूर्वारम्भिक काल (700-1343वि)

ख)उत्तरारम्भिक काल (1344-1444 वि)

2 . माध्यमिक काल -क)पूर्व माध्यमिक काल (1445-1560वि)

ख)प्रौढ माध्यमिक काल (1561-1680 वि)

3 . अलंकृत काल- क)पूर्वालंकृत काल (1681-1790वि)

ख)उत्तरालंकृत काल (1791-1889 वि)

4 . पतिवर्तन काल - (1890-1925 वि)

5 . वर्तमान काल - (1925-अब तक)

5 . आ . रामचंद्र शुक्ल-

आ . शुक्ल ने 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास इस ग्रंथ में निम्न कालविभाजन किया है-

1 . आदिकाल काल (वीरगाथा काल)- (1050 -1375 वि)

2 . पूर्व मध्यकाल (भक्तिकाल)- (1375 -1700 वि)

3 . उत्तर मध्यकाल (रीतिकाल)- (1700 -1900 वि)

4 . आधुनिक काल (गदयकाल)- (1900 -अब तक)

6 . डॉ . रामकुमार वर्मा -

डॉ . रामकुमार वर्मा ने 1938 में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इस ग्रंथ में निम्न कालविभाजन किया है-

1 . संधिकाल काल- (750 -1000 वि)

2 . चारणकाल - (1000 -1375 वि)

3 . भक्तिकाल- (1375 -1700 वि)

4 . रीतिकाल - (1700 -1900 वि)

5 . आधुनिक काल- (1900 -अब तक)

डॉ . गणपतिचंद्र गुप्त -

इन्होंने १९६५ में अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में निम्न रूप में काल विभाजन किया है -

१ . पारंभिक काल-११८४-१३५० ई

२ . मध्यकाल - अ)पूर्व मध्यकाल (१३५०-१५०० ई)

ब)उत्तर मध्यकाल (१५००-१८५७ ई)

३ . आधूनिक काल - १८५७ -अब तक

निष्कर्ष

स्पष्ट है कि प्रथम कालखंड के नामकरण का ही अधिक विवाद है |हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों में जो नाम सर्वाधिक प्रचलित है वे इस प्रकार से है-

1 . आदिकाल काल- (1050 -1375 वि)

2 . भक्तिकाल- (1375 -1700 वि)

3 . रीतिकाल- (1700 -1900 वि)

4 . आधुनिक काल (1900 -अब तक)

उपर्युक्त कालविभाजन ही सर्वमान्य है |सभी इतिहास ग्रंथो में इसी का प्रयोग होता है |

धन्यवाद

अहमदनगर जिला मराठा विद्या प्रसारक समाज का,

श्री मुलिकादेवी महाविद्यालय,निघोज

विषय - हिन्दी

पेपर नं ५

काव्यशास्त्र

काव्य-प्रयोजन

प्रा . मनिषा गाडीलकर

पेपर नं ५

काव्यशास्त्र

- काव्य-प्रयोजन
- काव्य जिस उद्देश्य से लिखा जाता है उसे काव्य प्रयोजन कहते है .
- भारतीय विद्वानों द्वारा काव्य के प्रयोजन –

1 आचार्य भरतमूनि

'धर्म. यश. अर्थ. काम. मोक्ष. आयु. कल्याण. बुद्धिविकास. लोकोपदेश'

2 आचार्य वामन

"काव्यम् सददृष्टा दृष्टार्थ प्रीती कीर्ति हेतुत्वा"

3 . आचार्य मम्मट का काव्य प्रयोजन

“काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतेय |
सद्यः परिनिवृत्तये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे ||

काव्य से यश की प्राप्ति होती. अर्थ मिलता है. व्यवहार-ज्ञान होता है. अमंगल का नाश होता है . तुरन्त लोकातीत आनंद काव्य द्वारा मिलता है और कान्ता के समान मधुर. प्रिय लगनेवाला उपदेश भी मिलता है .

भारतीय विद्वानों में मम्मट का काव्यप्रयोजन सबसे महत्वपूर्ण है .

1 . यशप्राप्ति-

प्रायः कवि यश प्राप्ति के हेतू से काव्य की रचना करते है|कुछ महान कवि ऐसे भी हो सकते है कि जिनका उद्देश्य यश प्राप्ति न रहा हो किंन्तू काव्यरचना के बाद वे अपने काव्य की प्रशंसा चाहते है|महाकवि कालीदास ने काव्य रचना यश के लिए ही की थी|

2 . अर्थप्राप्ति-

काव्य का दूसरा महत्वपूर्ण प्रयोजन अर्थ या धन प्राप्ति है|रितिकाल के अधिकांश कवियोंने धनप्राप्ति के उद्देश्य से अपने आश्रय दाताओं के प्रशंसा में काव्य लिखे|आधुनिक युग के अनेक कवियोंपर यह बात लागू होती है|किंतू यह कोई आवश्यक नही है कि कवि धनलाभ हेतू काव्य की रचना करे|जैसे- भक्त कवि|

3 . व्यवहार-ज्ञान-

काव्य से लोकव्यवहार की शिक्षा साहित्यकार और पाठक दोंन्हो प्राप्त करते है|जहा पाठक काव्य के अध्ययन से लोकव्यवहार का ज्ञान प्राप्त करता है, वहाँ साहित्यकार उसका प्रतिपादन करेने से पूर्व अपने ज्ञान की एक निश्चित रूपरेखा बना लेता है|काव्य के अध्ययन से व्यवहार की क्षमता प्राप्त होती है|क्योंकि काव्य के अध्ययन से मानव हृदय के रहस्यों का उदघाटन होता है|

4 . मनोरंजन तथा आनंद की प्राप्ति-

काव्य का प्रमुख प्रयोजन मनोरंजन तथा आनंद होता है|मनुष्य का काव्य पढनें सें मनोरंजन होता है और उसके मनन से आनंद की प्राप्ति होती है इसि कारणवश काव्योंको 'ब्रम्हानंद सहोदर' कहा गया है|

5 . कान्तासम्मित उपदेश-

अपने उपदेश, विचार या सिदधांत को हृदयस्पर्शी बनाने के लिए काव्य को माध्यम बनाया जाता है|भक्त एंव राष्ट्रिय कवि अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए काव्य निर्माण करते है . पत्नी या प्रियासि के समान मधुर उपदेश देने के लिए कवि कविता का निर्माण करते है|

- **6 . लोकहित**

अपने युग और समाज को अनिष्ट से बचाने के लिए काव्य की रचना की जाती है |'कुरूक्षेत्र' के निर्माता रामधारी सिंह दिनकर ने अपने काव्य में विश्व को युध्द् परिणाम से बचाने की कोशिश की है|

7 . आत्मशांति -

- वास्तव में काव्य का मूल प्रयोजन जनआत्म शान्ति है| काव्य कें आस्वादन सें जो रस रूप आनंद मिलता है, वह आत्मसुख है जिसकी प्रेरणा से कवि काव्य की रचना करता है| इसमें जीवन की सारी कटूता, कर्कशता ,वेदनाएँ समाप्त हो जाती है| परिणामस्वरूप कवि और पाठक आनंद का अनुभव करते है|

पाश्चात्य विद्वानों द्वारा काव्य के प्रयोजन –

1 . कला कला के लिए

2 . कला जीवन के लिए

3 . कला जीवन के पलायन के लिए

4 . कला मनोरंजन अथवा आंनद के लिए

5 . कला सेवा के अर्थ के लिए

6 . कला –साक्षात्कार के लिए

7 . एक सृजनात्मक आवश्यकता के लिए

शब्द शक्ति -

वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्द के अर्थ बोध व्यापार के मूल कारण को 'शब्द शक्ति' कहा जाता है|

शब्द शक्ति के प्रकार -

1. अभिधा
2. लक्षणा
3. व्यंजना

1. अभिधा शब्दशक्ति -

शब्द की जिस विशेष शक्ति के द्वारा साक्षात सांकेतिक (मुख्यार्थ) का बोध होता है उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते है

- अभिधा शब्द शक्ति के प्रकार ः-

1. रूढि
2. यौगिक
3. योग रूढि

2 . लक्षणा शब्द शक्ति -

जब किसी शब्द का मुख्यार्थ बाधित होने पर दूसरा नया अर्थ ग्रहन किया जाता है| उस शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहते है|

- लक्षणा शब्द शक्ति के प्रकार ः-

1 . रूढि लक्षणा

2 . प्रयोजनवती लक्षणा

- **3 .** व्यंजना शब्द शक्ति -

कभी-कभी अभिधा और लक्षणा से वाक्य का अर्थ नहीं निकलता ऐसी स्थिति में जिस शक्ति से अभिप्रेत अर्थतक पहुँच होती है उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते है|

व्यंजना शब्द शक्ति के प्रकार-

1 . शाब्दी व्यंजना

2 . आर्थी व्यंजना

रस ः-

- "विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति|“

  अर्थात स्थायीभाव, विभाग , अनुभव और संचारी भावो के संयोग से इस की निष्पत्ति होती है|

- रस के अंग

  1 . स्थायी भाव

  2 . विभाव

  3 . अनुभाव

  4 . संचारीभाव

- रस का स्वरूप ः-

1. रस की अखंडता
2. रस का स्वप्रकाशी रूप
3. रस आनंद स्वरूप होता है
4. रस चिन्मय स्वरूप होता है
5. रस का वेद्यांतर स्पर्शशुन्य है
6. रस का ब्रम्हास्वाद सहोदर रूप
7. रस का प्राणवक्ता लोकोत्तर चमत्कार प्राप्त
8. रस लोकोत्तर आल्हादमय है

आलोचना ः-

- डॉ . श्यामसुंदररास -
- " साहित्य के क्षेत्र में ग्रंथ को पढकर उसके गुण-दोषों की विवेचना करना और उसके संबध में अपना मत प्रकट करना ही आलोचना है|“
- आलोचना के प्रकार-

1 . निर्णयात्मक आलोचना

2 . व्याख्यात्मक आलोचना

3 . तुलनात्मक आलोचना

4 . ऐनिहासिक आलोचना

- आलोचक के गुण ः-
  1. सुनिश्चितता
  2. स्वातं–य
  3. मत के प्रति पुरी सुस बुस
  4. विचारों की श्रेष्ठता
  5. ज्ञान की गंभिरता
  6. अपने विषय के प्रति हार्दिक सहानुभूति
  7. तटस्थता

अहमदनगर जिला मराठा विद्या प्रसारक समाज का,

श्री मुलिकादेवी महाविद्यालय,निघोज

विषय - हिन्दी

पेपर नं जी २

कहानी काव्य एवं लेखन

प्रा . मनिषा गाडीलकर

वृत्तांत लेखन

- प्र .श्री मुलिकादेवी महाविद्यालय में मनाए गए हिंदी दिन समारोह का वृत्तांत लिखिए||
- स्थल - श्री मुलिकादेवी महाविद्यालय ,निघोज
- काल - १४ सितंबर २०१८
- घटना - हिंदी दिन समारोह
- 'हिंदी भाषा हिंदवी की शान है |'
- कबीर , सूर, तुलसी, प्रेमचंद की जान है |
- निघोज,तिथि. १४ सितंबर : निघोज के श्री मुलिकादेवी महाविद्यालय में १४ सितंबर २०१८ को सुबह १०.३० बजे हिंदी दिन समारोह मनाया गया |

.समारोह के अध्यक्ष की तौर पर हमारे महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ.एस के आहेर उपस्थित थे |और सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविदयालय के विभागाध्यक्ष डॉ.सदानंद भोसले जी कार्य क्रम के प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित थे |

प्रारंभ मे प्रमुख अतिथि तथा अथ्यक्ष महोदय ने दीप प्रज्वलन कर के सरस्वती की प्रतिमा का पूजन किया तथा छात्रों ने स्वागत गीत का गायन किया | और कार्यक्रम की शुरूआत हुई |

इसके बाद महाविद्यालय के हिंदी विभाग के विभागप्रमुख प्रा.मनिषा गाडीलकर जी ने अथ्यक्ष तथा प्रमुख अतिथि का परिचय एवं उनका स्वागत करते हुए महाविद्यालय की गतिविधियों पर प्रकाश डाला | उसके बाद महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉ.एस के आहेर जी के हाथों से प्रमुख अतिथि का स्वागत सन्मान किया गया |

समारोह की शुरूआत में विभाग के कुछ छात्रों ने हिंदी का महत्व , बेटी की कविता , शेरो शायरी , गजल ऐसे अलग-अलग विषयों पर अपनी भूमिकाएँ प्रस्तुत की | उसके बाद जिन अतिथि को सुनने के लिए हम बेकरार वह समय आया और प्रमुख अतिथि ने अपने मंतव्य में हिंदी भाषा का महत्व विशद करते हुए व्यवहार में उसका प्रयोग करने की सलाह दी | उन्होंने कहा की हिंदी भाषा सहज और सुगम है | भारत में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का अधिक प्रयोग होता है | भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए हिंदी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है | इसके बाद अध्यक्षीय महोद्य ने अपने मंतव्य मे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी भाषा के बढते महत्व पर प्रकाश डालते हुए उपस्थित सभी को हिंदी दिन की शूभकामनाएँ दी |

अंत में प्रा.संगीता मांडगे जी ने सब के प्रति आभार व्यक्त किया | और राष्ट्रगीत के बाद समारोह समाप्त हुआ | कार्यक्रम का सूत्र संचालन विद्यार्थी प्रतिनिधि कु.वर्षा शेटे ने किया

धन्यवाद